रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21—जुलाई 27 2018 (आषाढ़ 30, 1940)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21—JULY 27, 2018 (ASHADHA 30, 1940)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं. 465

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 491

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 13

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 1523

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. 3353

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. ..... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. 1917

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. 1359

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	465
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	491
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	13
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1523
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3353
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1917
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1359
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

———————

अंतरिक्ष विभाग

संकल्प

बेंगलूर, 5 जुलाई, 2018

सं. 8/3/14/2014-हिं..—अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के अनुमोदन से दिनांक 01 जुलाई, 2015 की संकल्प संख्या 8/3/14/2014-हिं.द्वारा पुनर्गठित अंतरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल, जोकि 30 जून, 2018 को समाप्त हो गया था, 01 जुलाई, 2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

एस. कुमारास्वामी

संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बजट प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2018

एफसंख्या. 5(1)-बी(पी.डी.)/2018.—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2018-2019 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जुलाई, 2018 से 30 सितंबर, 2018 तक 7.6% (सात दशमलव छः प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जुलाई, 2018 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं-

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।

5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।

6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।

7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।

8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।

9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।

10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अंजना वशिष्ठ

उप-सचिव (बजट)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

यू.3(ए) अनुभाग

नई दिल्ली, 6 जून, 2018

सं.फा.9-25/2000-यू3(ए) भाग.3.—जबकि, 'अमृता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु, जिसमें निम्नलिखित पांच संस्थाएं हैं, को इस मंत्रालय की दिनांक 13 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं. एफ.9-25/2000-यू.3 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय घोषित किया गया था, जो पांच वर्षों के बाद समीक्षा के अध्यधीन है :

i. अमृता प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, एट्टीमडई परिसर, कोयम्बटूर;

ii. अमृता प्रबंधन संस्थान, एट्टीमडई परिसर, कोयम्बटूर;

iii. अमृता चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र संस्थान, कोच्चि;

iv. अमृता इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मास्युटिकल्स साइंसेज, कोच्चि; और

v. अमृता इंस्टिट्यूट ऑफ़ नर्सिंग साइंसेज, कोच्चि

2. और जबकि, मंत्रालय की दिनांक 13.01.2003 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, विश्वाविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर की कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

3. और जबकि, केंद्र सरकार ने दिनांक 30 सितंबर, 2016 की अपनी अधिसूचना सं. 9-25/2000-यू.3ए की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यूजीसी की सलाह पर, 'अमृता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को अगले पांच वर्षों की अवधि अर्थात 13.01.2008 से 12.01.2013 तक बढ़ाया है।

4. और इसके अलावा जबकि, यूजीसी ने एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से 'अमृता विश्वा विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु और इसकी घटक इकाइयों की समीक्षा की है| इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27 मार्च, 2017 की अपनी अधिसूचना सं. 9-25/2000-यू.3(ए) भाग.3 द्वारा, यूजीसी की सलाह पर, 'अमृता विश्व विद्यापीठम' कोयम्बटूर, तमिलनाडु के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को अगले पांच वर्षों की अवधि अर्थात 13.01.2008 से 12.01.2013 तक बढ़ाया है जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि दर्जे को भविष्य में तभी आगे बढ़ाया जायेगा जब सम विश्वविद्यालय के नाम पर एक अलग सोसाइटी बनाई जाएगी और सभी चल-अचल संपत्तियों को नवनिर्मित सोसाइटी में कानूनी रूप से अंतरित कर दिया जायेगा। कमियां दूर किए जाने तक, अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु को आगे विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. और जबकि, अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु के अनुरोध और यूजीसी की सलाह के अनुसार, मंत्रालय ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु के सम विश्वविद्यालय दर्जे को दिनांक 13.1.2018 से 12.7.2018 तक 6 माह की अवधि के लिए आगे बढ़ाया/नियमितिकरण किया।

6. और जबकि, अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु ने यूजीसी से एक शैक्षिक वर्ष के लिए सम विश्वविद्यालय के दर्जे को आगे बढ़ाने का पुन: अनुरोध किया जिससे उसके शैक्षिक कार्यकलाप प्रभावित न हो। आयोग द्वारा दिनांक 20.3.2018 को आयोजित अपनी 530वीं बैठक (मद सं. 2.19) में संस्था के अनुरोध पर विचार किया गया और अमृता विश्व विद्यापीठ, कोयंबटूर, तमिलनाडु के सम विश्वविद्यालय दर्जे को दिनांक 13.7.2018 से 12.7.2019 तक 1 वर्ष की और अवधि के लिए आगे बढ़ाने की सिफारिश की।

7. अत: अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने, एतदद्वारा यूजीसी की सलाह पर, अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु के सम विश्वविद्यालय दर्जे को दिनांक 13.7.2018 से 12.7.2019 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया/नियमितिकरण किया जिसके दौरान संस्था दिनांक 27 मार्च, 2017 के इस मंत्रालय के आदेश की शर्तों का अनुपालन करेगी अन्यथा इस कारण से भविष्य में उसके दर्जे को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

8. अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं में दर्शायी गई अन्य शर्तों का अनुपालन करता रहेगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

(आई सी आर प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 जून, 2018

सं.एफ. 9-19/2005-यू.3 (भाग 1) .—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 21.08.2005 की अधिसूचना सं. 9-19/2005-यू.3 के जरिए यूजीसी की सलाह पर, अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, कनाथुर, तमिलनाडु को इसके संबंधन विश्वविद्यालय से संस्था की सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए नई श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी द्वारा इसकी विशेषज्ञ समिति की मदद से 31 जनवरी से 2 फरवरी, 2018 के दौरान अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, कनाथुर, तमिलनाडु के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2018 को आयोजित इसकी 530वीं बैठक (मद सं. 2.06) में आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और इस मंत्रालय को निम्नलिखित संकल्प संप्रेषित किया गया था:

"विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझावों पर, यदि कोई हों, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

4. अत: अब, केन्द्र सरकार यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा यूजीसी की सलाह पर अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, कनाथुर, तमिलनाडु के समविश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 21.08.2012 से 30.06.2019 तक आगे बढ़ाती/विनियमित करती है जो इसके अध्यधीन होगा कि संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा बताए गए सुझावों/ बताई गई कमियों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि समविश्वविद्यालय अपनी एनआईआरएफ/ एनएएसी में अपनी रैंकिंग/ग्रेडिंग के जरिए अपने कार्य- निष्पादन में सुधार करेगा।

5. अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, कनाथुर, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/ विनियमों का पालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ.9-38/2006-यू3(ए) भाग.3.—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 16.12.2008 की अधिसूचना सं.9-38/2006-यू3(ए) के माध्यम से, यूजीसी की सलाह पर, बी.एस. अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वांदालुर, चेन्नई, तमिलनाडु को, इसके संबधन विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त होन की तिथि से पांच वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए बी.एस. अब्दुर रहमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम पर समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था।

3. और इसके अलावा जबकि, यूजीसी द्वारा दिनांक 29-31 जनवरी, 2018 के दौरान, अकादमी ऑफ़ मेरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कनाथुर, तमिलनाडु के कार्यों की विशेषज्ञ समिति की सहायता से समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2018 को हुई इसकी 530वीं बैठक (मद सं. 2.13) में आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और इस मंत्रालय को निम्नलिखित संकल्प अग्रेषित किया गया था:

"विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हो, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट, प्रस्तुत की जाएगी।"

4. अब इसलिए, केंद्र सरकार एतदद्वारा, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, बी.एस. अब्दुर रहमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, वांदालुर, चेन्नई, तमिलनाडु के समविश्वविद्यालय के दर्जे को 16.12.2013 की तिथि से आगे निम्नलिखित शर्तों के साथ बढ़ाती है:

i. समविश्वविद्यालय समय-समय पर इसके एमओए/नियमों और इसके विभिन्न निकायों के संघटन को यथासंशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार संशोधन करेगा।

ii. समविश्वविद्यालय नए पाठ्यक्रम/विभाग/केंद्र को समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ करेगा।

iii. समविश्वविद्यालय संस्था अपने नाम की अनुमोदित शब्दावली ही प्रयुक्त करेगा

iv. समविश्वविद्यालय यूजीसी विशेषज्ञ समिति समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों/कमियों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5. बी.एस.अब्दुर रहमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, वांदालुर, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित अन्य शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों का निरंतर अनुपालन किया जाएगा

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.फा.9-37/2007-यू3(ए) खंड 2 .—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श पर, अपनी दिनांक 29.02.2008 की अधिसूचना सं. 9-37/2007-यू.3(ए) द्वारा श्री बी.एम. पाटिल मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, बीजापुर, कर्नाटक को, इसके संबधन विश्वविद्यालय अर्थात् राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर से संबद्धता समाप्त होने की तारीख से 5 वर्षों की अंनतिम अवधि के लिए 'बीएलडीई विश्वविद्यालय' के नाम और शैली में सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था। यह घोषणा इस शर्त के अध्यधीन थी कि यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट और यूजीसी की सिफारिशों के आधार पर 5 वर्षों की अवधि के बाद की समविश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि जाएगी।

3. और आगे जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी शंकर पेट्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह फैसला किया कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को ''विश्वविद्यालय'' शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

4. और जबकि, केन्द्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और यूजीसी के परामर्श पर, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 11 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 9-37/2007-यू.3(ए) द्वारा "बीएलडीई विश्वविद्यालय" के नाम से 'विश्वविद्यालय' शब्द का विलोपन कर 'बीएलडीई' करती है बशर्ते कि बीएलडीई अपने नाम के आगे 'विश्वविद्यालय' शब्द को प्रयोग नहीं करेगा लेकिन, इसके आगे कोष्ठकों के भीतर "समविश्वविद्यालय'' प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

5. और जबकि, यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से दिनांक 22-24 सितंबर, 2017 के दौरान 'बीएलडीई', बीजापुर, कर्नाटक के कार्यकलापों की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को दिनांक 22.12.2017 को आयोजित इसकी 527वीं बैठक (मद सं. 2.01) में आयोग के समक्ष रखा गया। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और निम्नलिखित संकल्प इस मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था:

''विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हो, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट, प्रस्तुत की जाएगी।''

6. और आगे जबकि, इस मंत्रालय में यूजीसी की सिफारिशों के साथ साथ यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की जांच की गई थी और निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए:

i. समविश्वविद्यालय संस्था को अपनी सोसायटी, भूमि शीर्षक, लेखों, कायिक निधि इत्यादि के नाम को नए नाम अर्थात बीएलडीई में करना है।

II. समविश्वविद्यालय संस्था को अपने सभी लेटर हेड, वेबसाइट और अपने सभी पत्र-व्यवहारों में नये नाम को शामिल करना है।

III. समविश्वविद्यालय संस्था को अपने एमओए/नियमावली में नए नाम को शामिल करना है।

IV. संस्था को यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

V. समविश्वविद्यालय संस्था नवीनतम भारतीय रैंकिंग अर्थात एनआईआरएफ रैंकिंग के शीर्ष 200 में स्थान बनाने में विफल रही।

VI. समविश्वविद्यालय संस्था को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा दिनांक 16.11.2015 से 15.11.2020 तक की अवधि के लिए 'बी' ग्रेड (सीजीपीए 2.90) के साथ प्रत्यायित किया गया है।

7. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श पर, 'बीएलडीई', बीजापुर, कर्नाटक के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को निम्नलिखित शर्तों के साथ दिनांक 28.02.2013 से 30.06.2019 तक आगे बढ़ाती है:

i. समविश्वविद्यालय संस्था अपनी सोसायटी, भूमि शीर्षक, लेखों, कायिक निधि इत्यादि के नाम को नए नाम अर्थात बीएलडीई में परिवर्तित करेगी।

ii. समविश्वविद्यालय संस्था अपने सभी लेटर हेड, वेबसाइट और अपने सभी पत्र-व्यवहारों में नये नाम को शामिल करेगी।

iii. समविश्वविद्यालय संस्था अपने एमओए/नियमावली में नए नाम को शामिल करेगी।

iv. संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

v. समविश्वविद्यालय संस्था एनआईआरएफ/एनएएसी में अपनी रैंकिंग/ग्रेडिंग के माध्यम से अपने कार्य निष्पादन में सुधार करेगी।

8. 'बीएलडीई', बीजापुर, कर्नाटक द्वारा इस मंत्रालय की पहले की अधिसूचनाओं में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-34/2007-यू.3(ए)-भाग 1.— जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर, अपनी दिनांक 22.07.2008 की अधिसूचना सं. 9-34/2007-यू.3 (ए) के जरिए ''क्राईस्ट कॉलेज (स्वायत्त), बंगलौर, कर्नाटक, को इसके संबधन विश्वविद्यालय अर्थातबंगलौर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए "क्राईस्ट विश्वविद्यालय'' को नाम तथा शैली में समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था। यह घोषणा इस शर्त के अध्यधीन थी कि यूजीसी की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट एवं यूजीसी की तत्संबंधी सिफारिशों के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के बाद समविश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की जाएगी।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी शंकर पेट्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह फैसला किया कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को ''विश्वविद्यालय'' शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

4. अब, जबकि, केन्द्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और यूजीसी की सलाह पर यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 11.01.2018 की अधिसूचना सं. 9-34/2007-यू.3(ए) के जरिए ''क्राईस्ट विश्वविद्यालय'' के नाम से ''विश्वविद्यालय'' शब्द का विलोपन करके इसका नाम बदलकर ''क्राईस्ट'' किया था बशर्ते कि ''क्राईस्ट'' अपने नाम में ''विश्वविद्यालय'' प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर "समविश्वविद्यालय" प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

5. और जबकि, यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की मदद से 14-16 दिसंबर, 2017 के दौरान क्राईस्ट, बंगलौर, कर्नाटक की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक 08.02.2018 को आयोजित इसकी 529वीं बैठक (मद सं. 2.05) में आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और निम्नलिखित संकल्प इस मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था:

''विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हो, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट, प्रस्तुत की जाएगी।''

6. और जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ यूजीसी की सिफारिशों की मंत्रालय में जांच की गई थी और निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए:

i. समविश्वविद्यालय संस्था को अपनी सोसायटी, भू-शीर्षक, लेखों, कायिक निधि आदि का नाम बदलकर नए नाम अर्थात ''क्राईस्ट'' के नाम में करनी है।

ii. समविश्वविद्यालय संस्था को अपने संगम ज्ञापन/नियमों में नए नाम को समाविष्ट करना है।

iii. समविश्वविद्यालय संस्था को यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

iv. समविश्वविद्यालय संस्था, नवीनतम भारतीय रैंकिंग अर्थात एनआईआरएफ रैंकिंग की शीर्ष 200 संस्थाओं में स्थान हासिल करने में विफल रही है।

7. अब, अत:, केन्द्र सरकार एतद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, क्राईस्ट, बंगलौर, कर्नाटक के सम-विश्वविद्यालय दर्जे को निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक 22.07.2013 से 30.06.2019 तक बढ़ाती/ विनियमित करती है।

i. समविश्वविद्यालय संस्था अपनी सोसायटी, भू-शीर्षक, लेखों, कायिक निधि आदि का नाम बदलकर नए नाम अर्थात ''क्राईस्ट'' के नाम में परिवर्तित करेगी।

ii. समविश्वविद्यालय संस्था, सभी लेटर हैड, वेबसाइट और अपने भावी पत्राचार में नए नाम को समाविष्ट करेगी।

iii. समविश्वविद्यालय संस्था, अपने संगम ज्ञापन/ नियमों में नए नाम को समाविष्ट करेगी।

iv. समविश्वविद्यालय संस्था, यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

v. समविश्वविद्यालय संस्था, एनआईआरएफ में अपनी रैंकिंग से अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करेगी।

8. "क्राईस्ट, बंगलौर, कर्नाटक द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-64/2005-यू.3 (भाग-2).— जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को बतौर समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 15.12.2006 की अधिसूचना सं. 9-64-2005-यू.3 के जरिए, यूजीसी की सलाह पर, चेन्नई मैथेमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई, तमिलनाडु को इसके संबंधन विश्वविद्यालय से संस्था की सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए नई श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी द्वारा इसकी विशेषज्ञ समिति की मदद से 26-27 अक्टूबर, 2017 के दौरान चेन्नई मैथेमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई, तमिलनाडु के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक 02.12.2017 को आयोजित इसकी 527वीं बैठक (मद सं. 2.13) में आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और इस मंत्रालय को निम्नलिखित संकल्प संप्रेषित किया गया था:

"विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझावों पर, यदि कोई हों, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

4. अत: अब, केन्द्र सरकार यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, यूजीसी की सलाह पर, चेन्नई मैथेमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई, तमिलनाडु के समविश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 15.12.2011 से 30.06.2019 तक आगे बढ़ाती/विनियमित करती है जो इसके अध्यधीन होगा कि संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा बताए गए सुझावों/ बताई गई कमियों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि समविश्वविद्यालय संस्था अपने संगम ज्ञापन और शासकीय संरचना में यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थाएं), विनियम, 2016 जैसा समय-समय पर संशोधन किया जाए, के अनुसार संशोधन करेगी।

5. चेन्नई मैथेमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/ विनियमों का पालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-16/2007-यू.3 (ए) भाग- 1— जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 03.07.2008 की अधिसूचना सं. 9-16/2007-यू.3 (ए) के जरिए यूजीसी की सलाह पर, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसएसटी), तिरूवनंतपुरम, केरल को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए नई श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था। यह घोषणा इसके अध्यधीन थी कि आईआईएसएसटी को दिए गए दर्जे की, यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की कार्य-निष्पादन रिपोर्ट और तत्संबंधी आयोग की सिफारिश के आधार पर, पांच वर्ष के बाद पुष्टि की जाएगी और अंतरिक्ष विभाग, यूजीसी द्वारा विनिर्धारित मॉडल संगम ज्ञापन/नियमावली के अनुसार और आयोग की सहमति से आईआईएसएसटी के संगम ज्ञापन (एमओए) और नियमावली को अंतिम रूप देगा।

3. और जबकि, यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की मदद से 29-31 जनवरी, 2018 के दौरान 'भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसएसटी), तिरूवनंतपुरम, केरल की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2018 को आयोजित इसकी 530वीं बैठक (मद सं. 2.12) में आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और इस मंत्रालय को निम्नलिखित संकल्प अग्रेषित किया गया था:

''विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हों, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।''

4. अत: अब, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, एतदद्वारा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसएसटी), तिरूवनंतपुरम, केरल के समविश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 03.07.2013 से आगे बढ़ाती/विनियमित करती है जो इसके अध्यधीन होगा कि संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा बताए गए सुझावों/ बताई गई कमियों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. 'भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसएसटी), तिरूवनंतपुरम, केरल द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय- समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/ विनियमों का पालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-57/2007-यू.3(ए) भाग-1.—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 19.12.2008 की अधिसूचना सं. 9-57/2007-यू.3(ए) के जरिए, यूजीसी की सलाह पर, श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज, बंगलौर, कर्नाटक को इसके संबधन विश्वविद्यालय अर्थात बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर से इसकी सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए "जैन विश्वविद्यालय" के नाम और शैली में समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था। यह घोषणा इस शर्त के अध्यधीन थी कि यूजीसी की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट एवं यूजीसी की तत्संबंधी सिफारिशों के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के बाद इसके समविश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की जाएगी।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, निम्नलिखित संस्थाओं को इस मंत्रालय की दिनांक 24.07.2009 की अधिसूचना सं. 9-57/2007-यू3(ए) के जरिए जैन (पूर्व में जैन विश्वविद्यालय) के दायरे में लाया गया था:

क. श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (स्नातक अध्ययन स्कूल), 34 फर्स्ट क्रास के.सी.रोड, बंगलौर

ख. श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (प्रबंधन अध्ययन केन्द्र), 1/1 अटरिया टॉवर, पैलेस रोड, बंगलौर

ग. श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र), 18/3, 9वां मेन, तीसरा ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर

घ. श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जक्कासांदरा पोस्ट, कनकपुरा तलुर, बंगलौर ग्रामीण

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को ''विश्वविद्यालय'' शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

5. और जबकि, केन्द्र सरकार ने माननीय उच्चतर न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और यूजीसी की सलाह पर, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 11.01.2018 की अधिसूचना सं. 9-57/2007-यू3(ए) के जरिए "जैन विश्वविद्यालय" के नाम से 'विश्वविद्यालय' शब्द का विलोपन करके इसका नाम बदलकर 'जैन' किया था बशर्ते कि 'जैन' अपने नाम में 'विश्वविद्यालय' प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर "समविश्वविद्यालय" प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

6. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी द्वारा इसकी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 21-23 दिसंबर, 2017 के दौरान जैन, बंगलौर, कर्नाटक के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को 20.03.2018 को आयोजित इसकी 530वीं बैठक (मद संख्या 2.09) में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और निम्नलिखित संकल्प इस मंत्रालय को संप्रेषित किया गया था:

''विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हो, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।''

7. और जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ यूजीसी की सिफारिशों की मंत्रालय में जांच की गई थी और निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए:

i. समविश्वविद्यालय ने मौजूदा विनियमों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमों को प्रस्तुत नहीं किया है।

ii. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समविश्वविद्यालयों को उनके नाम में 'विश्वविद्यालय' शब्द का उपयोग करने का निषेध करने वाले दिनांक 03.11.2017 के आदेश के बावजूद समविश्वविद्यालय अभी भी अपने नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द का उपयोग कर रहा है।

iii. समविश्वविद्यालय संस्था को अपनी सोसाइटी, भूमि शीर्षक, लेखा, कायिक निधि आदि का नाम बदलकर नए नाम अर्थात जैन के नाम में करनी है।

iv. समविश्वविद्यालय ने नवीनतम राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ) में भाग नहीं लिया है।

v. संस्था को यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

8. अब, अत: केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श पर, जैन, बंगलौर, कर्नाटक के समविश्वविद्यालय के दर्जे को निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक 19.12.2013 से 30.06.2019 तक बढ़ाती/विनियमित करती है:

i. समविश्वविद्यालय समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमों को संशोधित करेगा।

ii. समविश्वविद्यालय अपने नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगा लेकिन वह उसके आगे कोष्ठकों के भीतर 'समविश्वविद्यालय' प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

iii. समविश्वविद्यालय अपनी सोसायटी, भू-शीर्षक, लेखों, कायिक निधि आदि का नाम बदलकर नए नाम अर्थात जैन के नाम में परिवर्तित करेगा।

iv. समविश्वविद्यालय नवीनतम राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ) में भाग लेगा और अपनी वेबसाइट पर अपनी रैंकिंग प्रदर्शित करेगा।

v. संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

9. 'जैन', बंगलौर, कर्नाटक द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं. एफ.9-21/2005-यू.3 (ए) भाग.1.—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम,1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को बतौर समविश्वविद्यालय घोषित करने के लिए शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम,1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 30.08.2006 की अधिसूचना संख्या 9-21/2005-यू3(ए) के जरिए, यूजीसी की सलाह पर, एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नवी मुम्बई को, जिसमें दो संघटक मेडिकल कॉलेज अर्थात् (i) महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज, नवी मुम्बई और (ii) महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) शामिल हैं, को उपर्युक्त कॉलेजों का उनके संबंधन विश्वविद्यालयों से उनका संबधन समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त, जबकि यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 27-29 सितम्बर, 2017 के दौरान एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.12.2017 को आयोजित इसकी 527वीं बैठक (मद संख्या 2.11) में आयोग के समक्ष रखी गई थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और इस मंत्रालय को निम्नलिखित संकल्प अग्रेषित किया गया था:

"विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हों, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

4. और इसके अतिरिक्त, जबकि मंत्रालय में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ यूजीसी की सिफारिशों की जांच की गई थी और निम्नलिखित तथ्य पाए गए:

i. अचल परिसंपत्तियां अर्थात् संस्था की भूमि, समविश्वविद्यालय के नाम नहीं है।

ii. समविश्वविद्यालय संस्था, नवीनतम भारतीय रैंकिंग अर्थात् एनआईआरएफ रैंकिंग के शीर्ष 200 रैंकिंग में स्थान पाने में विफल रही।

5. अब इसलिए, केंद्र सरकार एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र के समविश्वविद्यालय के दर्जे को निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक 30.08.2011 से 30.06.2019 तक बढ़ाती है:

i. प्रायोजक ट्रस्ट, सभी चल-अचल परिसंपत्तियों को विधिक रूप से समवविश्वविद्यालय के नाम में अंतरित करेगा।

ii. समविश्वविद्यालय संस्था, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में अपनी रैंकिंग के जरिए अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करेगी।

iii. संस्था, यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

6. एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ और यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-48/2007-यू.3(ए) पार्ट-1.—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह से, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श पर, अपनी दिनांक 14.08.2008 की अधिसूचना सं. 9-48/2007-यू.3(ए) के जरिए ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जिसमें ग्राफिक एरा प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून शामिल है को इसके संबंधन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से उपर्युक्त संस्थान को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए "समविश्वविद्यालय संस्था" घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी शंकर पेट्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह फैसला किया कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को ''विश्वविद्यालय'' शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार और यूजीसी के परामर्श पर अपनी दिनांक 11 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं.9-48/2007-यू.3(ए) के माध्यम से ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के नाम से विश्वविद्यालय शब्द का विलोपन करके इसका नाम बदलकर ''ग्राफिक एरा'' किया था बशर्ते कि

अपने नाम में "ग्राफिक ऐरा" ''विश्वविद्यालय'' प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन, इसके आगे कोष्ठकों के भीतर "समविश्वविद्यालय" प्रत्यय शब्द का उल्लेख कर सकता है।

5. और जबकि, यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 11 से 13 अक्टूबर, 2017 के दौरान ग्राफिक एरा, देहरादून, उत्तराखंड के कार्यकलापों की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को दिनांक 22.12.2017 को हुई इसकी 527वीं बैठक (मद सं. 2.10) में आयोग के समक्ष रखा गया। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और निम्नलिखित संकल्प इस मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था।

''विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हो, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट, प्रस्तुत की जाएगी।''

6. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श पर, इस शर्त के साथ कि संस्थान निम्नलिखित पर 6 माह की अवधि के भीतर यूजीसी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, 14.08.2013 से ग्राफिक एरा, देहरादून, उत्तराखंड के सम-विश्वविद्यालय के दर्जे को एतदद्वारा नियमित/आगे बढ़ाती है:

I. सम-विश्वविद्यालय संस्था को अपनी सोसायटी, भूमि शीर्षक, लेखाओं, कायिक निधि इत्यादि नाम को बदलकर नए नाम अर्थात ग्राफिक एरा में करनी है।

II. सम-विश्वविद्यालय संस्था नये नाम को सभी पत्र शीर्षकों, वेबसाइट और उसके सभी पत्र-व्यवहारों में शामिल करेगा।

III. सम-विश्वविद्यालय संस्था अपने एमओए (संगम ज्ञापन)/नियमावली में नए नाम को शामिल करेगा।

IV. सम-विश्वविद्यालय संस्था अपने नाम की अनुमोदित नामावली का उपयोग करेगा।

V. संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

7. ग्राफिक एरा, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा इस मंत्रालय की पहले की अधिसूचना(ओं) के साथ-साथ यूजीसी और सांविधिक परिषदों, समय-समय पर जारी नियम/विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ.9-33/2002-यू.3 (पार्ट.1).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, उच्चतर अधिगम संस्था को बतौर समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 17.07.2017 की अपनी अधिसूचना सं.9-33/2002-यू.3 के जरिए, यूजीसी की सलाह पर, शिक्षा 'ओ' अनुसंधान, भुवनेश्वर, ओडिशा, जिसमें निम्नलिखित पांच संस्थाएं शामिल हैं; को निम्नलिखित संस्थाओं के उनके संबधन विश्वविद्यालयों से संबंधन समाप्ति की तारीख से दो वर्ष के बाद उनकी समीक्षा के अध्यधीन समविश्विवद्यालय संस्था घोषित किया था:

i. तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

ii. व्यवसाय एवं कम्यूटर अध्ययन संस्थान

iii. होटल प्रबंधन स्कूल

iv. दंत विज्ञान संस्थान; और

v. एसयूएम नर्सिंग कॉलेज

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 17.09.2007 की अधिसूचना सं. 9-33/2002-यू.3 तथा दिनांक 19.09.2007 की अधिसूचना सं. 9-33/2002-यू.3 के जरिए, यूजीसी की सलाह पर, दो संस्थाओं क्रमश: औषध विज्ञान स्कूल, भुवनेश्वर, ओडिशा और आयुर्विज्ञान संस्थान एवं एसयूएम हॉस्पिटल, भुवनेश्वर को शिक्षा 'ओ' अनुसंधान (सम-विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर, ओडिशा के क्षेत्राधिकार में शामिल किया था।

4. और जबकि, यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 28-30 जनवरी, 2018 के दौरान शिक्षा 'ओ' अनुसंधान, भुवनेश्वर, ओडिशा के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2018 को आयोजित इसकी 530वीं बैठक (मद सं.2.11) में आयोग के समक्ष रखी गई थी। आयोग ने विचार किया तथा इस मंत्रालय को निम्नलिखित संकल्प अग्रेषित किया:

"विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हों, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

5. अत: अब, केंद्र सरकार एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, इस शर्त के अध्यधीन कि संस्था, यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गए सुझावों/ बताई गई कमियों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, शिक्षा 'ओ' अनुसंधान, भुवनेश्वर, ओडिशा के समविश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 17.07.2009 से आगे बढ़ाती/विनियमित करती है।

6. शिक्षा 'ओ' अनुसंधान, भुवनेश्वर, ओडिशा द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ और यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-3/2000-यू.3 (खंड-2).— जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, अपनी दिनांक 23.06.2004 की अधिसूचना सं.9-3/2000-यू-3 के तहत करूण्या प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु को तीन वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी ने अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से सम-विश्वविद्यालय से दिनांक 09-11 नवंबर, 2017 के दौरान करूण्या प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कार्यकरण की समीक्षा की थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को दिनांक 09.01.2018 को आयोजित इसकी 528वीं बैठक (मद संख्या 2.06) में इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और निम्नलिखित संकल्प मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था:

"विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हो, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट, प्रस्तुत की जाएगी।"

4. और जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ यूजीसी की सिफारिशों की मंत्रालय में जांच की गई थी और निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए:

i. समविश्वविद्यालय के नाम से कोई अलग और विशेष सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी नहीं है।

ii. समविश्वविद्यालय के नाम से कोई चल और अचल सम्पत्ति नहीं है।

iii. समविश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा दिनांक 25.05.2016 से 24.05.2021 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए ख ग्रेड (सीजीपीए 2.91) के साथ प्रत्यायित किया गया है।

iv. समविश्वविद्यालय के संगम ज्ञापन/नियमावली यूजीसी की विद्यमान विनियमों के अनुरूप नहीं है।

v. संस्था को यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

5. अब, अत:, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए करूण्या प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु को एतदद्वारा दिनांक 23.06.2007 से 30.06.2019 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन आगे बढ़ाती है:

i. समविश्वविद्यालय के नाम से एक अथवा और अलग और विशेष सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी बनाई जाएगी।

ii. समविश्वविद्यालय के नाम से चल और अचल सम्पत्ति को कानूनी तौर पर पंजीकृत किया जाएगा।

iii. समविश्वविद्यालय संस्था एनएएसी ग्रेडिंग के माध्यम अपने कार्य निष्पादन में सुधार करेगा।

iv. समविश्वविद्यालय संस्था अपने संगम ज्ञापन/नियमावली को यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 और इसमें समय-समय पर हुए संशोधनों के अनुरूप बनाएगा।

v. समविश्वविद्यालय यूजीसी के मानदंडों/विनियमों के विपरीत कोई पाठ्यक्रम/विभाग, ऑफ कैम्पस सेंटर शुरू नहीं करेगा।

vii. संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर अनुपालना रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगी।

6. करूण्या प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं. एफ.9-3/2007-यू.3 (ए) भाग. 2.—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम,1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को बतौर मविश्वविद्यालय घोषित करने के लिए शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने, यूजीसी अधिनियम,1995 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 21.10.2008 की अपनी अधिसूचना के जरिए, यूजीसी की सलाह पर, मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा, जिसमें एक समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में कैरियर प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान शामिल है, को उस तारीख, जब पूर्वोक्त संस्थान ने अपने संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात् महर्षि दयानंद विश्विद्यालय, रोहतक, हरियाणा से स्वयं अपना संबद्धन समाप्त कर लिया था, से पांच वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए एक समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था। यह घोषणा इस शर्त के अध्यधीन थी कि यूजीसी, विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट और तत्संबंधी यूजीसी सिफारिशों के आधार पर समविश्वविद्यालय के दर्जे की पुष्टि की जाएगी।

3. और इसके अतिरिक्त, जबकि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया है कि यूजीसी, आज से एक माह के अंदर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को "विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

4. और इसके अतिरिक्त, जबकि केंद्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश और यूजीसी की सलाह पर यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय', फरीदाबाद, हरियाणा का नाम अपनी अधिसूचना सं. 9-3/2017-यू 3(ए), दिनांक 11 जनवरी, 2018 के जरिए बदलकर, संस्थान द्वारा यथा वांछित नाम 'मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा अध्ययन संस्थान' कर दिया था जो इस शर्त के अध्यधीन था कि 'मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान' अपने नाम के बाद 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगा लेकिन, प्रत्यय के रूप में 'समविश्वविद्यालय' शब्द का कोष्ठक में उल्लेख कर सकता है।

5. और जबकि, यूजीसी द्वारा विशेषज्ञ समिति की सहायता से 29-31 अक्टूबर, 2017 के दौरान मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं अध्ययन संस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.12.2017 को आयोजित इसकी 527वीं बैठक (मद सं. 2.14) में आयोग के समक्ष रखी गयी थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और इस मंत्रालय को निम्नलिखित संकल्प भेजा गया था:

"विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हों, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

6. अत: अब, केंद्र सरकार, एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, इस शर्त के अध्यधीन कि संस्थान निम्नलिखित के संबंध में एक माह के भीतर यूजीसी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा अध्ययन संस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा के समविश्वविद्यालय के दर्जे को 21.10.2013 से आगे बढ़ाती/विनियमित करती है:-

i. समविश्वविद्यालय संस्था अपनी सोसायटी, भू-शीर्षक, लेखाओं, कायिक निधि आदि का नाम बदलकर नए नाम अर्थात् मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान में करेगी।

ii. समविश्वविद्यालय संस्था सभी लेटर हैड्स, वेबसाइट और अपने सभी भावी पत्राचारों में नए नाम को शामिल करेगी।

iii. समविश्वविद्यालय संस्था अपने संगम ज्ञापन/नियमावली में नए नाम को शामिल करेगी।

iv. संस्था, यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

7. 'मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-48/2006-यू.3 (ए) भाग- 1.—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 04.08.2008 की अधिसूचना सं. 9-48/2006-यू.3 (ए) के जरिए, यूजीसी की सलाह पर ''चेट्टीनाड अनुसंधान और शिक्षा अकादमी (केयर), पाडुर, केलामबक्कम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु को, जिसके अंतर्गत (i) चेट्टीनाड अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, पाडुर, केलामबक्कम, और (ii) चेट्टीनाड परिचारिका महाविद्यालय, केलाबक्कम आते हैं, कतिपय शर्तों पर इसके संबधन विश्वविद्यालय से संस्था की सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए नई श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की मदद से 9-11 जनवरी, 2018 के दौरान 'चेट्टीनाड अनुसंधान और शिक्षा अकादमी (केयर), पाडुर, केलाबक्कम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2018 को आयोजित इसकी 530वीं बैठक (मद सं. 2.02) में आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और इस मंत्रालय को निम्नलिखित संकल्प अग्रेषित किया गया था:

''विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हों, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट, प्रस्तुत की जाएगी।''

4. अत: अब, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, एतदद्वारा 'चेट्टीनाड अनुसंधान और शिक्षा अकादमी (केयर), पाडुर, केलामबक्कम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु के समविश्वविद्यालय दर्जे को दिनांक 04.08.2013 से 30.06.2019 तक आगे बढ़ाती/विनियमित करती है जो इसके अध्यधीन होगा कि संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समीक्षा समिति द्वारा दिए गए सुझावों/बताई गई कमियों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. चेट्टीनाड अनुसंधान और शिक्षा अकादमी (केयर), पाडुर, केलामबक्कम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय- समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/ विनियमों का पालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ.9-53/2005-यू.3 (भाग-I).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्व़विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 04.08.2008 की अधिसूचना सं. 9-53/2005-यू-3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, श्री बालाजी विद्यापीठ, पांडिचेरी, जिसमें महात्मा गांधी मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट शामिल है, को डी-नोवो (नए सिरे से) श्रेणी के तहत पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए समविश्व़विद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, केन्द्र सरकार ने, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 20.02.2009 की अधिसूचना सं. 10-22/2008-यू3(ए) के तहत, यूजीसी के परामर्श पर, श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, कांचीपुरम, तमिलनाडु को ऑफ-कैम्पस सेंन्टर के रूप में श्री बालाजी विद्यापीठ, पांडिचेरी, के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था।

इसके अलावा, दिनांक 20.07.2009 की अधिसूचना सं. 9-53/2005-यू3 के तहत निम्नलिखित दो संस्थाओं को घटक संस्था के रूप में श्री बालाजी विद्यापीठ के अधिकार क्षेत्र में शामिल किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी:

(i) कस्तूरबा गांधी नर्सिंग कॉलेज, पुदुचेरी

(ii) इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ डेंन्टल सांइस, पुदुचेरी

4. और जबकि, यूजीसी द्वारा इसकी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 14-16 दिसम्बर, 1017 के दौरान श्री बालाजी विद्यापीठ, पुदुचेरी की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को दिनांक 08.02.2018 को आयोजित इसकी 529 वीं बैठक (मद संख्या 2.06) में आयोग के समक्ष रखा गया था। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और निम्नलिखित संकल्प सम्प्रेषित किया था:

"विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हो, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट, प्रस्तुत की जाएगी।"

5. अब, जबकि, केन्द्र सरकार एतद्वारा, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, श्री बालाजी विद्यापीठ, पुदुचेरी के समविश्वविद्यालय दर्जे को 04.08.2013 से आगे बढ़ाती दिया है बशर्ते, संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा बताए गए सुझावों/कमियों के संबंध में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

6. श्री बालाजी विद्यापीठ, पुदुचेरी द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं. एफ.9-52/2001--यू.3 भाग.1.—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम,1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को बतौर समविश्वविद्यालय घोषित करने के लिए शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने, यूजीसी अधिनियम,1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 20.05.2002 की अधिसूचना सं.9-52/2001-यू.3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, पूर्वोक्त् अधिनियम के प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, गुड़गांव, हरियाणा को पांच वर्ष के पश्चात् समीक्षा के अध्यधीन, तत्काल प्रभाव से समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और जबकि यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 27-28 सितम्बर, 2017 के दौरान राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, गुड़गांव, हरियाणा के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 09.01.2018 को आयोजित इसकी 528वीं बैठक (मद सं. 2.07) में आयोग के समक्ष रखी गई थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और इस मंत्रालय को निम्नलिखित संकल्प अग्रेषित किया गया था:

"विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हों, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

4. अत: अब, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, यूजीसी की सलाह पर, इस शर्त के अध्यधीन कि संस्थान यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, गुड़गांव, हरियाणा के समविश्वविद्यालय के दर्जे को 20.05.2007 से आगे बढ़ाती/विनियमित करती है।

5. राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, गुड़गांव, हरियाणा द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ और यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं. एफ.9-21/2000--यू.3 भाग.1.—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम,1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को बतौर समविश्वविद्यालय घोषित करने के लिए शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 20.06.2002 की अधिसूचना सं. 9-21/2000-यू.3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, नेरूल, नवी मुंबई को, जिसके अंतर्गत (क) पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज और (ख) पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल डेन्टल कॉलेज एंड हास्पिटल शामिल हैं, पांच वर्ष के पश्चात् समीक्षा किए जाने के अध्यधीन समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और जबकि, यूजीसी द्वारा इसकी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 11-13 अगस्त, 2017 के दौरान पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, नेरूल, नवी मुंबई की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 04.09.2017 को आयोजित इसकी 525वीं बैठक (मद सं.2.03) में आयोग के समक्ष रखी गई थी। आयोग ने अपनी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और इसे अनुमोदित किया था।

4. अत: अब, केन्द्र सरकार एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, इस शर्त पर कि प्रायोजक सोसायटी सभी चल-अचल परिसंपत्तियों को कानूनी रूप से समविश्वविद्यालय के नाम में अंतरित करेगी, पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, नेरूल, नवी मुंबई के समविश्वविद्यालय दर्जे को दिनांक 20.06.2007 से 30.06.2019 तक आगे बढ़ाती है। यह घोषणा इसके अतिरिक्त इस शर्त के अध्यधीन है कि समविश्वविद्यालय संस्था राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में अपनी रैंकिंग के माध्यम से अपने कार्य-निष्पादन में सुधार लाएगी और यह यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, नेरूल, नवी मुंबई द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ और यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-1/2002-यू.3 (भाग-1).—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 21.01.2003 की अपनी अधिसूचना संख्या 9-1/2002-यू-3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर डॉ. एम.जी.आर. एज्युकेशनल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, चेन्नई जिसमें (i) थाई मुगाम्बीगै डेन्टल कॉलेज एंड हास्पिटल, चेन्नई और डॉ. एम.जी.आर. इंजीनियरिंग कॉलेज मदुरावोयल, चेन्नई शामिल हैं, को तीन वर्षों की समीक्षा के साथ-साथ इस शर्त के अध्यधीन समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था कि यह समविश्वविद्यालय पर यथालागू यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करेगी।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 24 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 10-9/2007-यू-3 (ए) के तहत एसीएस मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल, चेन्नई को एक घटक संस्था के रूप में डॉ. एम.जी.आर. एज्युकेशनल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, चेन्नई में समावेशित करने की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित 2006 की डब्ल्यू.पी (सी) सं. 142 में विप्लव शर्मा मामले के निष्कर्ष और यथालागू एमसीआई विनियमों और शर्तों की अनुपालना के अध्यधीन दी थी।

4. और जबकि, यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की मदद से 2-4 नवम्बर, 2017 के दौरान डॉ. एम.जी.आर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, चेन्नई और इसकी सभी घटक इकाइयों/संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को दिनांक 09.01.2018 को आयोजित अपनी 528वीं बैठक (मद सं. 2.01) मे आयोग के समक्ष प्रस्तुत की थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित कियाः

"विचार किया गया और इस शर्त के अधीन अनुमोदन किया गया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हो, छह माह की समयावधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

5. और आगे जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह पाया गया कि कुछ भूमि सम-विश्वविद्यालय न्यास को पट्टे पर दी गई। कुछ भूमि की अवधि यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार अपेक्षित कम से कम 30 वर्षों की आवश्यकता के बदले केवल 25 वर्ष और 20 वर्ष थी।

6. अतः अब, केन्द्र सरकार यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर एतद्द्वारा डॉ. एम.जी.आर. एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, चेन्नई के सम-विश्वविद्यालय दर्जे को निम्नलिखित शर्तों के साथ 30.06.2019 तक बढ़ाती हैः-

i. सम-विश्वविद्यालय की संपूर्ण भूमि का विनियमों के अनुसार पट्टे के माध्यम से न्यूनतम 30 वर्षों की अवधि के लिए अधिग्रहण किया जाएगा।

ii. संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझाव/बताई गई कमियों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

7. डॉ. एम.जी.आर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ, यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

सं.एफ. 9-19/2000-यू.3(ए) भाग-1.—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर दिनांक 13.04.2006 की अधिसूचना सं.9-19/2000-यू3 के जरिए केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम, कर्नाटक, जिसमें (i) जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बेलगाम और (ii) केएलई बीके इंस्टिट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, बेलगाम शामिल हैं, को पांच वर्षों की अवधि के लिए सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था।

3. और जबकि, केन्द्र सरकार द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 20.02.2009 की अधिसूचना सं. 9-19/2000-यू.3 के तहत निम्नलिखित संस्थाओं को केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम के अधिकार

क्षेत्र में इस शर्त पर लाया गया था कि केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम को प्रदत्त सम-विश्वविद्यालय दर्जा प्रदान किए जाने संबंधी निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगाः

i. केएलई इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, बेलगाम;

ii. केएलई इंस्टिट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, बेलगाम;

iii. केएलई श्री बी.एम.के. आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगाम;

iv. केएलई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बेलगाम;

v. केएलई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हुबली;

vi. केएलई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बंगलौर

4. और आगे जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 17.01.2017 की अधिसूचना सं. 9-19/2000-यू.3 के तहत यूजीसी की सलाह पर केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम के सम-विश्वविद्यालय दर्जे को पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन आगे 05 वर्षों अर्थात् 13.04.2011 से 12.04.2016 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया था।

5. और जबकि, यूजीसी द्वारा इसकी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 14-17 फरवरी, 2017 के दौरान केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम और इसकी घटक संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को 28.03.2017 को आयोजित इसकी 522वीं बैठक (मद संख्या 2.08) में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित कियाः

"विचार किया गया और इस शर्त के अधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हो, छह माह की समयावधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

6. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और यूजीसी द्वारा रिपोर्ट के संबंध में उपलब्ध करवाए गए कतिपय स्पष्टीकरणों के अवलोकन के बाद यह पाया गया कि यूजीसी के मौजूदा विनियमों के अलावा सम-विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए कोई अलग एवं विशेष सोसायटी/न्यास/कंपनी नहीं है।

7. अतः अब, केन्द्र सरकार यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर एतद्द्वारा केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम के सम-विश्वविद्यालय दर्जे का 13.04.2016 से 12.04.2019 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विस्तार करती हैः

i. संस्था समविश्वविद्यालय के प्रबंधन के लिए एक अलग एवं विशेष अलाभ अर्जक सोसायटी/न्यास/कंपनी का गठन करेगी।

ii. संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों/बताई गई कमियों के संबंध में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि सम-विश्वविद्यालय को आगे विस्तार उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना के बाद ही दिया जाएगा। केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम, कर्नाटक द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजीव कुमार सिन्हा

संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

RESOLUTION

Bangalore, the 5th July, 2018

No.8/3/14/2014-हि.— With the approval of the Prime Minister as Minister in-charge of Department of Space, the tenure of Joint Hindi Salahakar Samiti of Department of Space and Department of Atomic Energy reconstituted vide Resolution No.8/3/14/2014-हि. dated 01 July, 2015, which was lapsed on 30 June, 2018, has been extended for a period of one year from 01 July, 2018,

S. KUMARASWAMY

Joint Secretary

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

(BUDGET DIVISION)

RESOLUTION

New Delhi, the 17th July, 2018

F.No. 5(1)-B(PD)/2018.—It is announced for general information that during the year 2018-2019, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.6% (Seven point six per cent) w.e.f. 1st July, 2018 to 30th September, 2018. This rate will be in force w.e.f. 1st July, 2018. The funds concerned are:—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

ANJANA VASHISHTHA

Deputy Secretary (Budget)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

(U.3(A) SECTION)

New Delhi, the 6th June, 2018

No. F.9-25/2000-U3(A)Pt.3.—Whereas, 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu consisting of following five Institutions was declared as deemed to be university under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's Notification No. F.9-25/2000-U.3 dated the 13th January, 2003 subject to a review after five years:

i. Amrita Institute of Technology and Science, Ettimadai Campus, Coimbatore;

ii. Amrita Institute of Management, Ettimadai Campus, Coimbatore;

iii. Amrita Institute of Medical Sciences and Research Centre, Kochi;

iv. Amrita Institute of Pharmaceutical Sciences, Kochi; and

v. Amrita Institute of Nursing Sciences, Kochi.

2. And whereas, as per the provisions of the Ministry's Notification dated 13.01.2003, an Expert Committee was constituted by the UGC to review the functioning of the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore.

3. **And whereas**, the Central Government vide its Notification No.**9**-25/2000-U.3A dated 30th September, 2016, in exercise of the powers conferred by Section 3 and on the advice of the UGC, extended the status of Deemed to be University of 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu for another period of five years i.e. from 13.01.2008 to 12.01.2013.

4. **And further whereas**, 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu and its Constituent Units have been reviewed by UGC through an Expert Committee. Further, in exercise of the powers conferred by Section 3, the Central Government vide its Notification No.**9**-25/2000-U3(A)Pt.3 dated 27th March, 2017, on the advice of the UGC, further extended the status of Deemed to be University of 'Amrita Vishwa Vidyapeetham' Coimbatore, Tamil Nadu for another period of five years i.e. from 13.01.2013 to 12.01.2018 subject to condition that further extension shall only be given if a separate Society in the name of Deemed to be University is created and all the moveable and immovable assets are legally transferred in the newly created Society. Till the deficiencies are rectified, no further expansion shall be permitted to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu.

5. **And whereas**, as per the request of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu and also as per the advice of UGC, the Ministry, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, extended / regularized the Deemed to be University status to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu for a period of six months w.e.f. 13.01.2018 to 12.07.2018.

6. **And whereas**, the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu once again requested the UGC to extend the Deemed to be University status by one academic year so that its academic activities are not affected. The request of the Institution has been considered by the Commission in its 530th meeting (Item No.2.19) held on 20.03.2018 and recommended for the extension of Deemed to be University status to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu for another period of one year w.e.f. 13.07.2018 to 12.07.2019.

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby extend / regularize the Deemed to be University status to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu for another period of one year w.e.f. 13.07.2018 to 12.07.2019 within which the Institute will comply with the conditions of this Ministry's order dated 27th March, 2017 otherwise no further extension shall be given for this reason.

8. The other conditions mentioned in the earlier Notifications of this Ministry shall continue to be adhered by Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

New Delhi, the 8th June, 2018

No. F.9-19/2005-U.3(Pt.1).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-19/2005-U.3 dated 21.08.2007, on the advice of UGC, had declared Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University under de-novo category, for the provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the Institute from its affiliating University.

3. **And further whereas,** the functioning of Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 31st January to 2nd February, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 530th meeting (Item No.2.06) held on 20.03.2018. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu from 21.08.2012 to 30.06.2019 with the condition that the Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee. This is further subject to condition that the Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking / grading in NIRF / NAAC.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-38/2006-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-38/2006-U3(A) dated 16.12.2008, on the advice of UGC, had declared B.S. Abdur Rahman Crescent Engineering College, Vandalur, Chennai, Tamil Nadu, as an Institution deemed to be University in the name of B.S. Abdur Rahman Institute of Science & Technology, for a provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the College from its affiliating University.

3. **And further whereas,** the functioning of Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 29-31st January, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 530th meeting (Item No.2.13) held on 20.03.2018. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to B.S. Abdur Rahman Institute of Science & Technology, Vandalur, Chennai, Tamil Nadu from 16.12.2013 onwards with the following conditions:

i. The deemed to be University shall revise its MoA / Rules and align its composition of various bodies as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

ii. The deemed to be University shall start new Courses / Departments / Centres in accordance with the provisions of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

iii. The deemed to be University shall always use the approved nomenclature of its name.

iv. The deemed to be University shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by B.S. Abdur Rahman Institute of Science & Technology, Vandalur, Chennai, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-37/2007-U3(A)Vol.2.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-37/2007-U3(A) dated 29.02.2008, on the advice of UGC, had declared Shri B. M. Patil Medical College, Hospital & Research Centre, Bijapur, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of 'BLDE University' for the provisional period of five years, with effect from the date on which the aforesaid Medical College disaffiliates itself from its affiliating University viz. Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, Bangalore. This declaration was subject to condition that the status of deemed to be University shall be confirmed after the period of 5 years based on the inspection and assessment report of UGC's Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon.

3. And further whereas, the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

4. And whereas, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, change the name of "BLDE University" to "BLDE" by deleting the word 'University' from its name vide its Notification No.9-37/2007-U3(A) dated 11.01.2018 with the condition that BLDE shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

5. And whereas, the functioning of BLDE, Bijapur, Karnataka was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 22-24th September, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 527th meeting (Item No.2.01) held on 22.12.2017. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

6. And further whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in the Ministry and observed the following:

i. The Institution deemed to be University has to change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. BLDE.

ii. The Institution deemed to be University has to incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its further correspondences.

iii. The Institution deemed to be University has to incorporate new name in its MoA / Rules.

iv. The Institution has to submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

v. The Institution deemed to be University failed to find place in top 200 of the latest Indian Rankings i.e. NIRF Rankings.

vi. The Institution deemed to be University has been accredited by National Assessment and Accreditation Council (NAAC) with 'B' Grade (CGPA-2.90) for the period from 16.11.2015 to 15.11.2020

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to 'BLDE', Bijapur, Karnataka from 29.02.2013 to 30.06.2019 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. BLDE.

ii. The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its further correspondences.

iii. The Institution deemed to be University shall incorporate new name in its MoA / Rules.

iv. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

v. The Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking / grading in NIRF/NAAC.

8. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by 'BLDE', Bijapur, Karnataka.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-34/2007-U3(A)Pt.1Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-34/2007-U3(A) dated 22.07.2008, on the advice of UGC, had declared Christ College (Autonomous), Bangalore, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of 'Christ University' for the provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the aforesaid College from its affiliating University viz. Bangalore University. This declaration was subject to condition that the status of deemed to be University shall be confirmed after the period of 5 years based on the inspection and assessment report of UGC's Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon.

3. And further whereas, the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

4. And whereas, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of "Christ University" to "Christ" by deleting the word 'University' from its name vide Notification No.9-34/2007-U3(A) dated 11.01.2018 with the condition that the Institution shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the words "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

5. And whereas, the functioning of Christ, Bangalore, Karnataka was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 14-16th December, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 529th meeting (Item No.2.05) held on 08.02.2018. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

6. And further whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in the Ministry and observed the following:

i. The Institution deemed to be University has to change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. Christ.
ii. The Institution deemed to be University has to incorporate new name in its MoA / Rules.
iii. The Institution has to submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.
iv. The Institution deemed to be University failed to find place in top 200 of the latest Indian Rankings i.e. NIRF Rankings.

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to 'Christ', Bangalore, Karnataka from 22.07.2013 to 30.06.2019 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. Christ.
ii. The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its further correspondences.
iii. The Institution deemed to be University shall incorporate new name in its MoA / Rules.
iv. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.
v. The Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking in NIRF.

8. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by 'Christ', Bangalore, Karnataka.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-64/2005-U.3(Vol.2).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-64/2005-U.3 dated 15.12.2006, on the advice of UGC, had declared Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University under de-novo category, for the provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the Institute from its affiliating University.

3. **And further whereas,** the functioning of Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 26-27th October, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 527th meeting (Item No.2.13) held on 22.12.2017. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu from 15.12.2011 to 30.06.2019 with the condition that the Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee. This extension is further subject to condition that the Institution deemed to be University shall amend its MoA & Governance Structure as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-16/2007-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-16/2007-U3(A) dated 03.07.2008, on the advice of UGC, had declared Indian Institute of Space Science and Technology (IISST), Thiruvananthapuram, Kerala as an Institution deemed to be University under de-novo category, for a provisional period of five years. This declaration was subject to the condition that the status conferred upon the IISST will be confirmed after five years on the basis of performance reports of the Expert Review Committee of the UGC and the recommendation of the Commission thereon and the Department of Space shall finalize the Memorandum of Association (MoA) and Rules of the IISST in accordance with the model MoA/Rules prescribed by the UGC and in concurrence with the Commission.

3**.** **And whereas,** the functioning of Indian Institute of Space Science and Technology (IISST), Thiruvananthapuram, Kerala was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 29-31st January, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 530th meeting (Item No.2.12) held on 20.03.2018. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Indian Institute of Space Science and Technology (IISST), Thiruvananthapuram, Kerala from 03.07.2013 onwards with the condition that the Institute shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry and the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Indian Institute of Space Science and Technology (IISST), Thiruvananthapuram, Kerala.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-57/2007-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-57/2007-U3(A) dated 19.12.2008, on the advice of UGC, had declared Sri Bhagawan Mahaveer Jain College, Bangalore, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of 'Jain University' for the provisional period of five years, with effect from the date on which the aforesaid College disaffiliates itself from its affiliating University viz. Bangalore University, Bangalore. This declaration was subject to condition that the status of deemed to be University shall be confirmed after the period of 5 years based on the inspection and assessment report of UGC's Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon.

3. **And further whereas**, the following Institutions were brought under the ambit of Jain (formerly known as Jain University), Karnataka vide this Ministry's Notification No. 9-57/2007-U3(A) dated 24.07.2009:

a. Sri Bhagwan Mahavir Jain College (School of Graduate Studies), 34 First Cross KC Road, Bangalore

b. Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for Management Studies), 1/1 Atria Tower, Palace Road, Bangalore

c. Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for PG Studies), 18/3, 9th Main, 3 rd Block, Jayanagar, Bangalore

d. Sri Bhagwan Mahavir Jain College of Engineering, Jakkasandra Post, Kanakpura Talur, Bangalore Rural

4. And further whereas, the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

5. And whereas, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of "Jain University" to "Jain" by deleting the word 'University' from its name vide Notification No.9-57/2007-U3(A) dated 11.01.2018 with the condition that the Institution shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the words "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

6. And further whereas, the functioning of Jain, Bangalore, Karnataka was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 21-23rd December, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 530th meeting (Item No.2.09) held on 20.03.2018. The Commission considered the report and sent the following resolution to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

7. And whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in the Ministry and observed the following:

i. The deemed to be University has not submitted its MoA/Rules as per the existing Regulations.
ii. The deemed to be University is still using the word 'University' with its name despite the Order dated 03.11.2017 of Hon'ble Supreme Court prohibiting deemed to be Universities from using the word 'University' with their name.
iii. The Institution deemed to be University has to change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. Jain.
iv. The deemed to be University has not participated in the latest National Institutional Ranking Framework (NIRF).
v. The Institution has to submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to 'Jain', Bangalore, Karnataka from 19.12.2013 to 30.06.2019 with the following condition:

i. The deemed to be University shall amend its MoA/Rules as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.
ii. The deemed to be University shall not use the word 'University' with its name but it may mention the words "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.
iii. The deemed to be University will change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. Jain.
iv. The deemed to be University shall participate in the National Institutional Ranking Framework (NIRF) and shall display its rankings on its website.
v. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

9. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by 'Jain', Bangalore, Karnataka.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-21/2005-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-21/2005-U3(A) dated 30.08.2006, on the advice of UGC, had declared MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai consisting of two constituent medical colleges i.e. (i) Mahatma Gandhi Mission's Medical College, Navi Mumbai (Maharashtra) and (ii) Mahatma Gandhi Mission's Medical College. Aurangabad (Msharastltra) as an Institution deemed to be University for a provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the above mentioned Colleges from their affiliating Universities.

3. **And further whereas,** the functioning of MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 27-29th September, 2017. The report of the Expert Committee was

placed before the Commission in its 527th meeting (Item No.2.11) held on 22.12.2017. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

4. And further whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in the Ministry and observed the following:

i. The immovable assets viz. land of the Institution are not in the name of deemed to be University

ii. The Institution deemed to be University failed to find place in top 200 of the latest Indian Rankings i.e. NIRF Rankings.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra from 30.08.2011 to 30.06.2019 with the following condition:

i. The Sponsoring Trust shall legally transfer the entire moveable and immoveable assets in the name of the deemed to be University.

ii. The Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking in National Institutional Ranking Framework (NIRF).

iii. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-48/2007-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-48/2007-U3(A) dated 14.08.2008, on the advice of UGC, had declared Graphic Era University consisting of Graphic Era Institute of Technology, Dehradun, Uttarakhand as as an Institution deemed to be University, for a provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the above Institute from its affiliating University.

3. And whereas, the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

4. And further whereas, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of "Graphic Era University" to "Graphic Era", by deleting the word 'University' from its name, vide Notification No.9-48/2007-U3(A) dated 11th January, 2018 with the condition that "Graphic Era" shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

5. And whereas, the functioning of Graphic Era, Dehradun, Uttarakhand was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 11-13th October, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in

its 527th meeting (Item No.2.10) held on 22.12.2017. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Graphic Era, Dehradun, Uttarakhand from 14.08.2013 onwards with the condition that the Institute shall submit compliance report to UGC within a period of 6 months on the following:

i. The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. Graphic Era.

ii. The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its further correspondences.

iii. The Institution deemed to be University shall incorporate new name in its MoA / Rules.

iv. The Institution deemed to be University shall use the approved nomenclature of its name.

v. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, by Graphic Era, Dehradun, Uttarakhand.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-33/2002-U.3(Pt.1).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-33/2002-U.3 dated 17.07.2007, on the advice of UGC, had declared Siksha 'O' Anusandhan, Bhubaneswar, Orissa consisting of the following five Institutions as an Institution deemed to be University, subject to review after two years, with effect from the date of disaffiliation of the following Institutions from their affiliating Universities:

i. Institute of Technical Education & Research

ii. Institute of Business & Computer Studies

iii. School of Hotel Management

iv. Institute of Dental Sciences; &

v. SUM Nursing College

3. And further whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956 and on the advice of UGC, the Central Government vide its Notification No.9-33/2002-U.3 dated 17.09.2007 & No. 9-33/2002-U.3 dated 19.09.2007, brought two Institutions School of Pharmaceutical Sciences, Bhubaneswar, Odisha and Institute of Medical Sciences & SUM Hospital, Bhubaneswar respectively under the ambit of Siksha 'O' Anusandhan (Deemed to be University), Bhubaneswar, Orissa.

4. And whereas, the functioning of Siksha 'O' Anusandhan, Bhubaneswar, Odisha was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 28-30th January, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the

Commission in its 530th meeting (Item No.2.11) held on 20.03.2018. The Commission considered and send the following resolutions to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Siksha 'O' Anusandhan, Bhubaneswar, Odisha from 17.07.2009 onwards subject to condition that the Institution shall submit the compliance report w.r.t. the suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Siksha 'O' Anusandhan, Bhubaneswar, Odisha.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-3/2000-U.3(Vol.2).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-3/2000-U.3 dated 23.06.2004, on the advice of UGC, had declared Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University, for the provisional period of three years, with immediate effect.

3. And further whereas, the functioning of Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 9-11th November, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 528th meeting (Item No.2.06) held on 09.01.2018. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

4. And whereas, the report of the UGC Expert Committee as well as recommendations of UGC was examined in the Ministry and observed the following:

i. There is no separate & exclusive Society / Trust / Company in the name of the deemed to be University.

ii. The moveable & immoveable assets are not in the name of the deemed to be University.

iii. The deemed to be University has been accredited by National Assessment and Accreditation Council (NAAC) with B Grade (CGPA- 2.91) for a period of five years from 25.05.2016 to 24.05.2021.

iv. The deemed to be University has not aligned its MoA / Rules as per the prevailing Regulations of UGC.

v. The Institution has to submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu from 23.06.2007 to 30.06.2019 with the following conditions:

i. A separate & exclusive Society / Trust / Company in the name of the deemed to be University will be formed.

ii. The moveable & immoveable assets shall be legally registered in the name of the deemed to be University.

iii. The deemed to be University shall improve its performance through its NAAC grading.

iv. The deemed to be University shall align its MoA / Rules as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

v. The deemed to be University shall not start any Courses / Departments, Off-Campus Centres in contrary to the norms / regulations of the UGC.

vi. The Institution will submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee within stipulated time period.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-3/2007-U3(A)Vol.2.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-3/2007-U3(A) dated 21.10.2008, on the advice of UGC, had declared Manav Rachna International University, Faridabad, Haryana consisting of Career Institute of Technology & Management as an Institution deemed to be University, for a provisional period of five years, with effect from the date on which the aforesaid Institute disaffiliates itself from its affiliating University viz. Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana. This declaration was subject to condition that the status of deemed to be University shall be confirmed based on the inspection and assessment report of UGC's Expert Review Committee and the recommendations of the UGC thereon.

3. And further whereas, the Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

4. And further whereas, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of "Manav Rachna International University", Faridabad, Haryana to "Manav Rachna International Institute of Research & Studies", as desired by the Institute vide Notification No.9-3/2007-U3(A) dated 11th January, 2018 with the condition that "Manav Rachna International Institute of Research & Studies" shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

5. And whereas, the functioning of Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 29-31st October, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 527th meeting (Item No.2.14) held on 22.12.2017. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana from 21.10.2013 onwards with the condition that the Institute shall submit compliance report to UGC within a period of 6 months on the following:

i. The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. Manav Rachna International Institute of Research and Studies.

ii. The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its further correspondences.

iii. The Institution deemed to be University shall incorporate new name in its MoA / Rules.

iv. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by "Manav Rachna International Institute of Research & Studies", Faridabad, Haryana.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-48/2006-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-48/2006-U3(A) dated 04.08.2008, on the advice of UGC, had declared Chettinad Academy of Research and Education (CARE), Padur, Kelambakkam, Kancheepuram District, Tamil Nadu, comprising (i) Chettinad Hospital and Research lnstitute, Padur, Kelambakkam and (ii) Chettinad College of Nursing, Padur, Kelambakkam, as an Institution deemed to be University under de-novo category, for the provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the Institute from its affiliating University, with certain conditions.

3. And further whereas, the functioning of Chettinad Academy of Research and Education (CARE), Padur, Kancheepuram District, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 9-11th January, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 530th meeting (Item No.2.02) held on 20.03.2018. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Chettinad Academy of Research and Education (CARE), Padur, Kancheepuram District, Tamil Nadu from 04.08.2013 to 30.06.2019 with the condition that the Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee as well as MHRD Review Committee.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Chettinad Academy of Research and Education (CARE), Padur, Kancheepuram District, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-53/2005-U.3(Pt.1).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-53/2005-U.3 dated 04.08.2008, on the advice of UGC, had declared Sri Balaji Vidyapeeth, Pondicherry consisting of Mahatma Gandhi Medical College & Research Institute, Pondicherry as an Institution deemed to be University under de-novo category, for a provisional period of five years.

3. And further whereas, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956 and also on the advice of UGC, the Central Government vide its Notification No.10-22/2008-U3(A) dated 20.02.2009 included Sri Sathya Sai Medical College & Research Institute, Kancheepuram, Tamil Nadu under the ambit of Sri Balaji Vidyapeeth, Pondicherry as an Off-Campus Centre. In addition, the following two Institutions were permitted to include under the ambit of Sri Balaji Vidyapeeth, Pondicherry as constituent Institutions vide Notification No.9-53/2005-U.3 dated 20.07.2009:

i. Kasturba Gandhi Nursing College, Puducherry

ii. Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, Puducherry

4. And whereas, the functioning of Sri Balaji Vidyapeeth, Puducherry was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 14-16th December, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 529th meeting (Item No.2.06) held on 08.02.2018. The Commission considered and send the following resolutions:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Sri Balaji Vidyapeeth, Puducherry from 04.08.2013 onwards subject to condition that the Institution shall submit the compliance report w.r.t. the suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Sri Balaji Vidyapeeth, Puducherry.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-52/2001-U.3Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-52/2001-U.3 dated 20.05.2002, on the advice of UGC, had declared National Brain Research Centre, Gurgaon, Haryana as an Institution deemed to be University for the purpose of the aforesaid act, with immediate effect subject to review after five years.

3. And whereas, the functioning of National Brain Research Centre, Gurgaon, Haryana was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 27-28th November, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 528th meeting (Item No.2.07) held on 09.01.2018. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to National Brain Research Centre, Gurgaon, Haryana from 20.05.2007 onwards with the condition that the Institute shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by National Brain Research Centre, Gurgaon, Haryana.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-21/2000-U.3(Pt.1).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-21/2000-U.3 dated 20.06.2002, on the advice of UGC, had declared Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai consisting of (a) Padmashree Dr. D. Y. Patil Medical College; and (b) Padmashree Dr. D. Y. Patil Dental College & Hospital as an Institution deemed to be University subject to review after five years.

3. And whereas, the functioning of Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 11-13th August, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 525th meeting (Item No.2.03) held on 04.09.2017. The Commission considered and approved the report of its Expert Committee.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai from 20.06.2007 to 30.06.2019 subject to the condition that the Sponsoring Society shall legally transfer the entire moveable and immoveable assets in the name of the deemed to be University. This declaration is further subject to the condition that the Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking in National Institutional Ranking Framework (NIRF) and it will submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-1/2002-U.3(Pt.1).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-1/2002-U.3 dated 21.01.2003, on the advice of UGC, had declared Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, comprising (i) Thai Moogambigai Dental College and Hospital, Chennai and (ii) Dr. M.G.R. Engineering College, Maduravoyal, Chennai, as an Institution deemed to be University, subject to review of three years, and also with the condition that it will adhere to the guidelines / instructions issued by UGC & AICTE, from time to time as applicable to the deemed to be university.

3. And further whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.10-9/2007-U3(A) dated 25th September, 2014 permitted inclusion of ACS Medical College & Hospital, Chennai under ambit of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai as a Constituent Institution subject to the outcome of the Viplav Sharma's case in W.P. (C) No. 142 of 2006 pending in the Supreme Court and compliance of MCI Regulations and conditions as applicable.

4. And whereas, the functioning of Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai and all its Constituent Unit/Institutions was reviewed by the UGC with the help of Expert Committee during 2-4th November, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 528th meeting (Item No.2.01) held on 09.01.2018. The Commission considered the report and passed the following resolutions:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

5. And further whereas, after perusal of the report of UGC Expert Committee, it was observed that some of the land is leased to the deemed to be university Trust is only for a period of 25 years and 20 years against the requirement of at least 30 years as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai upto 30.06.2019 with the following conditions:

i. The entire land of the deemed to be university shall be acquired through leasehold up to the minimum period of 30 years as per the Regulations.

ii. The Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Dr. M.G.R. Educational & Research Institute, Chennai, Tamil Nadu.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

No. F.9-19/2000-U3(A)Pt.1.—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-19/2000-U.3 dated 13.04.2006, on the advice of UGC, had declared KLE Academy of Higher Education &

Research, Belgaum, Karnataka, comprising (i) Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum and (ii) KLE BK Institute of Dental Sciences, Belgaum, as an institution deemed to be University, for a period of five years.

3. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, following institutions were brought under ambit of KLE Academy of Higher Education and Research, Belgaum, by the Central Government vide Notification No.9-19/2000-U.3 dated 20.02.2009 subject to the conditions that all the terms & conditions of conferment of deemed to be university status to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum shall remain unchanged:

i. KLE Institute of Nursing Sciences, Belgaum;

ii. KLE Institute of Physiotherapy, Belgaum;

iii. KLE Shri B.M.K. Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum;

iv. KLE College of Pharmacy, Belgaum;

v. KLE College of Pharmacy, Hubli;

vi. KLE College of Pharmacy, Bangalore.

4. And further whereas, , in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-19/2000-U.3 dated 17.01.2017, on the advice of UGC, extended the status of deemed to be university to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum for another period of five years i.e. from 13.04.2011 to 12.04.2016 subject to terms & conditions mentioned in earlier Notifications.

5. And whereas, the functioning of KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum and all its Constituent Institutions was reviewed by the UGC with the help of Expert Committee during 14-17th February, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 522nd meeting (Item No.2.08) held on 28.03.2017. The Commission considered the report and passed the following resolutions:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

6. And further whereas, after perusal of the report of UGC Expert Committee and certain clarifications provided by the UGC on the report, it was observed that there is no separate & exclusive Society / Trust / Company for managing the deemed to be university contrary to the prevailing Regulations of UGC.

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum from 13.04.2016 to 12.04.2019 with the following conditions:

i. The Institution shall create a separate & exclusive not-for-profit Society / Trust / Company for managing the deemed to be university.

ii. The Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

8. It is clarified that the further extension of deemed to be university shall be given only after compliance of the above conditions. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum, Karnataka.

SANJAY KUMAR SINHA

Joint Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.07.30 14:49:49 +05'30'